

श्री पी. ए. 21/1/16

1. छात्रवृत्ति प्रार्थना

2. छात्रवृत्ति आवेदन

3. नई-की वेबसाइट

4. प्राचीन

स्पीड-पोस्ट

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल.

कमांक 1090 / 246 / आउशि / छा. / 2016,

भोपाल, दिनांक 09.09.2016 8.3.16

प्रति,

1. प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश.
2. प्राचार्य,
समस्त गैर अनुदान प्राप्त निजी महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश.
3. कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश.


विषय--पोस्ट गैट्रिक छात्रवृत्ति की योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता एवं शुल्क) की प्रतिपूर्ति।

संदर्भ --अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पत्र कमांक एफ 23-27/2014/25-5, भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2016.

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय से प्राप्त पत्र कमांक एफ 23-27/2014/25-5, भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2016 की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

अतः अनुरोध है कि विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न--उपरोक्तानुसार,
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश.

पृ.क.कमांक 1091 / 246 / आउशि / छा. / 2016,

भोपाल, दिनांक 09.09.2016

प्रतिलिपि--

1. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर पत्र कमांक एफ 23-27/2014/25-5, भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सेल, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश.

मध्यप्रदेश शासन
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 23-27/2014/25-5
प्रति,

बोपाल दिनांक 9 अगस्त, 2016

आयुक्त,
अनुसूचित जाति विकास,
मध्यप्रदेश

विषय-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजनांतर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता एवं शुल्क) की प्रतिपूर्ति।

संदर्भ:-आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का पत्र क्र. एफ-12-42/99/02-25 दिनांक 29.7.2003

2. आदिम जाति कल्याण विभाग का पत्र क्र.एफ-12-15/2013/25/2/1761 दिनांक 02.12.2014

3. आदिम जाति कल्याण विभाग का पत्र क्र.एफ-12-15/2013/2572 दिनांक 10.08.2015

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता एवं शुल्क) की प्रतिपूर्ति के संबंध में समय समय पर जारी समस्त आदेश अधिकमित करते हुए वर्तमान में प्रचलित केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के नियम निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी समूहों (Group-I, II, III, IV) के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए 2.50 लाख तक की आय सीमा वाले परिवार के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पूर्ण निर्वाह भत्ता एवं शासकीय संस्थाओं में (शासकीय विश्व विद्यालय सहित) निर्धारित शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क सहित Non refundable अनिवार्य शुल्क का भुगतान किया जाएगा। समूह एक के पाठ्यक्रमों में छात्रावासी विद्यार्थी को 1200/- के स्थान पर 1500/- रुपये मासिक निर्वाह भत्ता स्वीकृत किया जाएगा।

(संदर्भ-भारत सरकार की विभागाधीन वृद्धि-पत्र) म.प्र. शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का आदेश क्र. एफ 12-60/2007/4/25 दिनांक 29.02.2009)

2. 2.50 लाख तक की आयसीमा वाले परिवार के विद्यार्थियों के लिए शासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत रहने पर निर्वाह भत्ता एवं शासकीय संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों के

समतुल्य शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क सहित Non refundable अनिवार्य शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

(संदर्भ-म.प्र.शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति, कल्याण का पत्र क. एफ 12-64/93/ 25/2, दिनांक 5.6.1999)

3. 2.50 लाख से 3.00 लाख तक की आयसीमा वाले परिवार के विद्यार्थियों के लिए कोई निर्वाह भत्ता देय नहीं है। शासकीय संस्थाओं/अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत रहने पर शासकीय संस्थाओं में संबंधित पाठ्यक्रम में निर्धारित शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क सहित Non refundable अनिवार्य शुल्क का आधी 1/2 राशि का भुगतान किया जायेगा।

(संदर्भ-म.प्र.शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति कल्याण का पत्र क. एफ 12-113/2007/4/पच्चीस, दिनांक 13 अक्टूबर 2008)

अशासकीय विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित स्वयं के संस्थानों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के प्रवेश होने पर 2.50 लाख तक की आयसीमा वाले परिवार के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पूर्ण निर्वाह भत्ता एवं शासकीय संस्थाओं द्वारा संबंधित पाठ्यक्रम में निर्धारित शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क सहित Non refundable अनिवार्य शुल्क का भुगतान किया जायेगा। 2.50 लाख से 3.00 लाख तक की आयसीमा वाले परिवार के विद्यार्थियों के लिए केवल Non refundable अनिवार्य शुल्क का आधी 1/2 राशि का भुगतान किया जायेगा। अशासकीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अध्ययन केंद्र इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।

(संदर्भ- एफ 12-29/2008/2575 दिनांक 03.08.2013)

4. 8 पाठ्यक्रमों (डीई, बी.फार्मा, एम.फार्मा, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, बीएस. पॉलिटेक्निक) के लिए 3.00 लाख तक की आयसीमा वाले परिवार के विद्यार्थियों के लिए फीस निधागक समिति द्वारा उस पाठ्यक्रम के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था के लिए निर्धारित न्यूनतम Non refundable अनिवार्य शुल्क का भुगतान किया जायेगा। इस श्रेणी में 2.50 लाख तक आयसीमा वाले परिवार के विद्यार्थियों को समूह का निर्धारित निर्वाह भत्ता भुगतान किया जायेगा, परन्तु 2.50 से 3.00 लाख तक की

आयसीगा वाले परिवारों के विद्यार्थियों के लिए कोई निवृद्ध भत्ता नहीं दिया जायेगा।
उल्लेखित 8 पाठ्यक्रमों के लिए इस राशि का भुगतान केवल केन्द्रीयकृत वगउन्सिलिंग
के माध्यम से संस्थाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए मान्य है। जिन विद्यार्थियों ने
कॉलेज स्तर की वगउन्सिलिंग से प्रवेश लिया है उन्हें इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने
पर शासकीय संस्थाओं के बराबर ही शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(संदर्भ-म.प्र.शासन, अनुसूचित जाति कल्याण का पत्र क्र.एफ 23-5/2013/25-5, दिनांक 11.9.2013
म.प्र.शासन आदिम जाति कल्याण विभाग का पत्र क्र.एफ-12-15/2013/25-2/ 2041 दिनांक 11.
9.2013)

5. राज्य के शासकीय महाविद्यालय/शासकीय स्वशासी महाविद्यालय/शासकीय विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 29 जुलाई 2003 के आदेशानुसार निर्धारित अनिवार्य शुल्कों की पूर्ण प्रतिपूर्ति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत की जाए। यह आदेश शैक्षणिक सत्र 2016-17 से प्रभावशील होगा। अशासकीय महाविद्यालयों/अशासकीय विश्वविद्यालयों के संदर्भ में यह आदेश लागू नहीं होगा तथा इनमें अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पूर्ववत शासकीय संस्थाओं के बেসिक पाठ्यक्रम में ली जा रही शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
6. IIM / IITS/ NIFT में प्रवेशित विद्यार्थियों को निर्धारित अनिवार्य शुल्क के अलावा भैस व्यय और कम्प्यूटर, लेपटाप व्यय, होस्टल किराया, पुस्तक एवं पाठ्य सामग्री शुल्क, छात्र कल्याण निधि शुल्क, मेडीकलेम फी की राशि भी रवीकृत की जा सकेंगी।
(संदर्भ-म.प्र.शासन आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का पत्र क्र. एफ-12-41/2007/चार/पञ्चम दिनांक 22.12.2009)
7. अशासकीय संस्थाओं में संचालित ऐसे पाठ्यक्रम जो किसी भी शासकीय संस्थाओं में संचालित नहीं हैं, उनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों को निर्धारित निवृद्ध भत्ता एवं संबंधित समूह के बেসिक पाठ्यक्रम में शासकीय संस्थाओं में लिए गए वह समूहगत अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा सकेंगी।

8. भारत सरकार की पौरोछात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रदेश के विद्यार्थी जो प्रदेश के बाहर यदि केन्द्र सरकार या राज्य शासन की शासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत हैं तो

केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा मान्य अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति तथा समूह के पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित निर्वाह भत्ता का भुगतान आयसीमा के आधार पर किया जायेगा।

9. प्रदेश के बाहर मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं, अशासकीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने पर संबंधित पाठ्यक्रमों में निर्धारित निर्वाह भत्ता के अलावा मध्यप्रदेश राज्य के शासकीय संस्थाओं में ली जा रही अनिवार्य शुल्क के समतुल्य शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

10. विद्यार्थियों द्वारा प्रचलित पाठ्यक्रम की अवधि के मध्य पाठ्यक्रम/संस्था के परिवर्तन के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे

(संदर्भ-म.प्र.शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के परिपत्र क्र.ए.क. 23-25/2014/2575, दिनांक 28.01.16 एवं म.प्र.शासन आदिम जाति कल्याण विभाग का पृ.क्र.437/एफ 12-8/2013/25-2 दिनांक 22.3.16)

- (i) यदि विद्यार्थी पाठ्यक्रम परिवर्तित कर उच्चतर पाठ्यक्रम में (योजना में निर्धारित समूह के अनुसार) आगामी वर्ष प्रवेश लेता है तो पूर्व वर्ष में स्वीकृत/वितरित छात्रवृत्ति बसूले नहीं की जावेगी, परंतु उसी वर्ष नये पाठ्यक्रम में प्रवेश होता है तो नवीन प्रवेश के दिनांक से याद की पूर्व पाठ्यक्रम की स्वीकृति राशि, निर्वाह भत्ता एवं शुल्क की राशि जिसका भुगतान संस्था को नहीं किया गया है, कालानुसार जमा कर प्रवेश ले सकेगा। नवीन प्रवेश के समय कालानुसार दरतावेज के साथ में प्रस्तुत कराए तथा नये पाठ्यक्रम और संस्था की उसी वर्ष या आगामी वर्ष छात्रवृत्ति का पुनः आवेदन प्राप्त होने पर छात्रवृत्ति/निर्वाह भत्ता/निर्वाह भत्ता की जा सकेगी। अन्य समूहों के पाठ्यक्रमों/संस्था में परिवर्तन कर प्रदेश लेने पर पूर्व पाठ्यक्रम की प्राप्त छात्रवृत्ति की राशि कालानुसार जमा कर छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा सकेगी।

- (ii) यदि विद्यार्थी समूह (i) में आपस में पाठ्यक्रम/संस्था में परिवर्तन कर आगामी वर्ष में प्रवेश लेता है तो पूर्व वर्ष में स्वीकृत/वितरित छात्रवृत्ति कम्प्लैट नहीं की जावेगी, परंतु उसी वर्ष में नये समूह के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तो नवीन प्रवेश के दिनांक से वाद की पूर्व पाठ्यक्रम की स्वीकृत राशि, निवाह भत्ता एवं शुल्क की राशि जिसका भुगतान संस्था को नहीं किया गया है, चालान से जमा कर प्रवेश ले सकेगा। नये पाठ्यक्रम और संस्था की उसी वर्ष या आगामी वर्ष छात्रवृत्ति का पुनः आवेदन प्राप्त होने पर छात्रवृत्ति स्वीकृत/वितरित की जा सकेगी।
- (iii) अनुत्तीर्ण होने पर पाठ्यक्रम परिवर्तन की सुविधा नहीं रहेगी, अर्थात् पूर्व में प्राप्त छात्रवृत्ति कोषालय में जमा करने के उपरांत ही नवीन पाठ्यक्रम संस्था से आवेदन कर सकेंगे।
- (iv) नवीन पाठ्यक्रम/संस्था में प्रवेश का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पूर्व में यदि छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई है और वितरित नहीं हुई है तो उसकी स्वीकृति तत्काल निरस्त की जायेगी। ऐसी स्वीकृति निरस्त होने पर नए पाठ्यक्रम/संस्था की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा सकेगी।
- (v) यह सुविधा विद्यार्थी को अध्ययन के दौरान केवल एक बार ही दी जायेगी दूसरी बार पाठ्यक्रम/संस्था परिवर्तन करने पर पूर्व स्वीकृत छात्रवृत्ति प्राप्त होने पर राशि कोषालय में जमा करने पर प्रवेश मान्य किया जा सकेगा। नवीन आवेदन के साथ चालान की प्रति प्रस्तुत करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(सचिव, राज्य)

अध्ययन सचिव

मध्य प्रदेश

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति विभाग

पृ. क्रमांक एफ 23-27 / 2014 / 25-5
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई, 2016

1. प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
 2. ~~प्रमुख~~ सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षितता विद्या / लक्ष्मीकी शिक्षा / आयुष, भोपाल।
 3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
 4. समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश।
 5. समस्त सहायक आयुक्त / जिला रायोजक, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास,
 6. वरिष्ठ सूचना अधिकारी, एन आई सी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल
- को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल
राज्य भवन, भोपाल
पत्र क्रमांक 4085
दिनांक 23-8-16

3559
16-8-16

16 AUG 2016
EHE

सूचना विभाग

R

अवर सचिव
म.प्र. शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

23 AUG 2016

ए.एम.
1.42
24/8